हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
ने ... वकील प्रार्थना पत्र प्रति० सं० 8 टोफली बेवा कुड़र को कमिन्टिगट उपस्थिति से दूर किये जाने बाबत पेश किया, को खारिज किया जाता है। प्रार्थी (वादी) द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी०पी०सी० प्रतिवादी सं० 10 रामाराम पुत्र कजोड़ के स्थान पर दयालसिंह पुत्र कजोड़ संशोधित करने बाबत पेश किया गया। प्रतिवादीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र पर जो ऑब्जेक्शन किया गया। प्रार्थना पत्र व पत्रावली के संलग्न पत्रात किया गया। बेक प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी०पी०सी० स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा प्रतिवादी सं० 10 रामाराम पुत्र कजोड़ के स्थान पर दयाल सिंह पुत्र कजोड़ संशोधित किया जाता है। लाल स्याही से दावा पत्र में अंकन किया जावे। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी संख्या -8 हाजिर होने राजीनामा पत्रावली दिनांक: 19-6-2024 को पेश हो।	2-8-24 तारीख हनुमानाराम पार्वती LTI जगरूप दयाल ममता LTI ID sawal singh Gurjar (सवल सिंह गुर्जर (CS)) 9/5/2024
उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
19-6-24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। प्रतिवादी संख्या - 8 टोफली बेवा कुड़र उपस्थित आयी। आदेशिका पर अंगूठा निशानी दी। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा पहचान की गयी। दिनांक: 3-7-24 को पेश राजीनामा पर उभयपक्षकारान	टोफली LTI ID sawal singh Gurjar 19/6/2024

सा)

9, 10, 12 के पिता व प्रतिवादी सं. 11 के पति मृतक कजोड पुत्र रामसुखा का बतौर खातेदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	द्वारा स्वीकार करने की सहमति प्रकट की गयी। दिनांक: 3-1-2024 को पेश राजीनामा का अवलोकन किया गया। पेशशुदा राजीनामा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। राजीनामा अनुसार विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अन्य डिक्री जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली नियमानुसार होकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।
	[signature] 19/6/24
	उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH: 01420-228487 E-Mail: sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :-94 / 2023
प्रकरण दायर दिनांकः- 03.07.2023
प्रकरण निर्णय दिनांकः-19.06.2024

उनवान- 1. मूलचन्द दत्तक पुत्र रामहेत जाति गुर्जर निवासी ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर तहसील बॉदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

बनाम

1. बद्री
2. मेदू उर्फ मादू
3. चेतराम उर्फ चेता } पिसरान जैयनारायण
4. किशोर
5. गिर्राज
6. रघुनाथ
7. हंसाराम } पिसरान सुन्दर
8. तोफली बेवा सुन्दर
9. जगरूप
10. दयाल सिंह } पिसरान कजोड
11. पार्वती बेवा कजोड

} समस्त जाति गुर्जर निवासी ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

12. ममता पुत्री कजोड पत्नि रामकिशोर जाति गुर्जर निवासी रलावता तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
13. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बॉदीकुई
14. यूको बैंक शाखा बॉदीकुई जरिये शाखा प्रबन्धक
15. भारतीय स्टेट बैंक शाखा बॉदीकुई जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय
16. कॉरपोरेशन बैंक शाखा पीचूपाडा खुर्द जरिये शाखा प्रबन्धक

दावा उद्घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा भूमि काश्त स्थित ग्राम ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर तहसील बॉदीकुई

मुकदमा नं.-94 / 2023 सन्-2023

निर्णय दिनांक 19.06.2024

वादी द्वारा वाद पत्र दावा उद्घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया कि ग्राम ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर तहसील बॉदीकुई जिला दौसा के नये खाता सं. 115 पुराना 106 के आराजी खसरा नं. 320, 321, 322, 527, 529 लगा. 532, 536, 625, 626, 646, 648, 727, 730, 731, 733, 736, 742, 744, 745, 748, 759, 761, 762, 765, 768, 769, 774, 775, 783 लगा. 786 कुल किता 34 कुल रकबा 9.66 हैक्ट. स्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी हिस्सा 1/40, प्रतिवादी सं. 01 हिस्सा 1/8, 1/40 प्रतिवादी सं. 02 हिस्सा 1/8, 1/40, प्रतिवादी सं. 03 हिस्सा 1/40, मृतका धापा बेवा जयनारायण हिस्सा 1/40, प्रतिवादी सं. 4 लगायत 8 प्रत्येक का पृथक से हिस्सा 1/40, प्रतिवादी सं. 9, 10, 12 के पिता व प्रतिवादी सं. 11 के पति मृतक कजोड पुत्र रामसुखा का बतौर खातेदार

काश्तकार इन्द्राज दर्ज है। ग्राम ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर तहसील बाँदीकुई जिला दौसा के नये खाता सं. 114 पुराने 107 के आराजी खसरा नं. 318, 318/1547, 319, 524, 525, 526, 828, 919, 920, 921, 926 कुल किता 11 कुल रकबा 1.81 हैक्टेयर स्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी हिस्सा 1/20, प्रतिवादी सं. 1 हिस्सा 1/4, 1/20 प्रतिवादी सं. 02 हिस्सा 1/4, 1/20, प्रतिवादी सं. 03 हिस्सा 1/20 तथा प्रतिवादी सं. 04 लगायत 08 प्रत्येक का पृथक से हिस्सा 1/20–1/20 का बतौर खातेदार काश्तकार इन्द्राज दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण का सिजरा खानदान पेश है।

वादपत्र के चरण सं. 01 में वर्णित वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि रही है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 08 सम्मिलित रूप से 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं. 9 लगायत 12 का सम्मिलित में 1/2 हिस्सा रहा है। वादी का प्राकृतिक पिता जैनारायण पुत्र सुखपाल रहा है वादी के अलावा जैनारायण के तीन पुत्र प्रतिवादी सं. 01 बद्री, प्रतिवादी सं. 02 मादू उर्फ मेदू व प्रतिवादी सं. 03 चेताराम उर्फ चेता है। वादी के सगे चाचा रामहेत पुत्र सुखपाल के कोई पुत्र–पुत्री सन्तान नहीं होने के कारण रामहेत पुत्र सुखपाल ने अपने बडे भाई के लडके वादी मूलचन्द को हस्ब सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार विधिवत दत्तक पुत्र ग्रहण किया था तभी से वादी अपने दत्तक पिता रामहेत के पास पुत्रवत रहते हुए सभी दायित्वों व कर्तव्यों का निर्वहन किया और रामहेत की मृत्यु पर वादी ने ही अन्तिक संस्कार, पिण्डदान आदि संस्कारों का निर्वहन किया है। वादग्रस्त भूमि के अलावा मृतक रामहेत की अन्य भूमियों में वादी का बतौर दत्तक पुत्र रामहेत इन्तकाल अमलदरामद हो चुका है। वादग्रस्त भूमि में मृतक रामहेत पुत्र सुखपाल का पृथक से 1/6 व 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड रहा है। जिसकी पुष्टि जमाबन्दी ग्राम ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर सम्वत 2038 से 2041 से स्पष्ट रूप से होती है तथा वादी इसी प्रकार से काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 ने वादग्रस्त भूमि में से मृतक रामहेत के हिस्से को हडपने की गरज से बसाज राजस्व अहलकारान से मिलकर अवैध तरीके से मृतक रामहेत के विरासत का नामान्तकरण मृतका धापा देवी बेवा जयनारायण व अपने हक में खुलवा लिया जबकि प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 अपने प्राकृतिक पिता जैयनारायण की सम्पत्ति प्राप्त करने के अधिकारी रहे हैं वादग्रस्त भूमि वर्णित जिम्मन नम्बर 01 में जयनारायण का पृथक से हिस्सा 1/6 व जिम्मन नम्बर 02 में वर्णित भूमि में जयनारायण का पृथक से हिस्सा 1/3 रहा है इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वर्णित जिम्मन नम्बर 01 में प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 प्रत्येक का पृथक से 1/18–1/18 तथा वादपत्र के चरण सं. 02 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 प्रत्येक का पृथक से 1/9–1/9 हिस्सा होता है तथा वादपत्र के चरण सं. 01 में वर्णित वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 4 लगायत 8 प्रत्येक का पृथक से हिस्सा 1/30–1/30 व चरण सं. 02 में वर्णित वादग्रस्त भूमि में पृथक से प्रत्येक का 1/15, 1/15 हिस्सा होता है चूंकि वादी मूलचन्द रामहेत पुत्र सुखपाल के विधिवत गोद चला गया था जो वादग्रस्त भूमि में रामहेत के हिस्से तक अपने हक हकूक खातेदारी की घोषणा करवाने व दुरूस्ती करवाने का वैध अधिकारी है। वादपत्र के चरण सं. 01 में वर्णित भूमि हिस्सा 1/6 व चरण सं. 02 में वर्णित भूमि हिस्सा 1/3 की पृथक से घोषणा एवं रिकार्ड में दुरूस्ती करवाना चाहता है।

वादपत्र के चरण सं. 01 व 02 में वर्णित भूमि में वादी व मृतक रामहेत का शुरू से हिस्सा कमशः 1/6 व 1/3 रहा है। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 ने वर्ष 2004 में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान में मृतक रामहेत के हिस्सा सम्पूर्ण में गलत जानकारी देते हुए रामहेत के स्थान पर अपनी वल्दियत प्राकृतिक पिता जयनारायण दर्ज करवा कर नामान्तकरण सं. 91 दिनांकः 29.11.2004 तस्दीक करवा लिया जबकि मृतक रामहेत की वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि में वादी का नामान्तकरण मृतक रामहेत के स्थान पर खुल चुका है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादपत्र के चरण सं. 01 में वर्णित वादग्रस्त भूमि में मृतक रामहेत पुत्र सुखपाल हिस्सा 1/6 तथा चरण सं. 02 में वर्णित वादग्रस्त भूमि में हिस्सा 1/3 होने तथा वादी मृतक रामहेत का दत्तक पुत्र व वैध उत्तराधिकार होने से अपने हकूक खातेदारी

Scanned with OKEN Scanner

की घोषणा करवाने का अधिकारी है तथा इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का विधिक अधिकारी है तथा वादपत्र के चरण सं. 01 व 02 में वर्णित भूमि जिसमें वादी का क्रमशः 1/6, 1/3 हिस्सा है जिसमें प्रतिवादीगण वादी शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में कोई बाधा, व्यवधान, अवरोध उत्पन्न वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हो रहे इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 वादग्रस्त भूमि को रहन बय मुन्तकिन न करे व वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकार्ड की स्थिति को सदैव के लिये यथावत बनाये रखने से प्रतिबन्धित रहें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 12 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री मनोज मिश्रा एवं श्री नवल सिंह गुर्जर जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र (काउन्टर क्लेम) पेश किया गया। वादी वकील द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहा। प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर वकील उभयपक्ष को सुनाई गई। साक्ष्यवादी शपथ पत्र मूलचन्द दत्तक पुत्र रामहेत जाति गुर्जर का पेश किया गया। जिरह प्रतिवादी वकील द्वारा की गई। प्रकरण में दिनांकः 03.01.2024 को उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 7 एवं 9 लगायत 11 ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये। शेष प्रतिवादीगण सं. 8 व 12 ने दिनांकः 04.01.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा बाबत आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये। प्रतिवादी वकील द्वारा पहचान की गई। उभयपक्ष वकील ने प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने से तत्समय राजीनामा स्वीकार नहीं हो सका। दिनांकः 09.05.2024 को प्रार्थी (वादी) ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांकः 03.01.2024 को पेशशुदा राजीनामा तस्दीक किये जाने बाबत निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 08 को छोडकर वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 7 व 9 लगायत 12 ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वादी एवं प्रतिवादीगण वकील द्वारा पहचान की गई। प्रार्थी प्रतिवादी सं. 08 तोफली देवी बेवा सुन्दर जाति गुर्जर ने जर्ये वकील प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 08 तोफली बेवा सुन्दर को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दिये जाने बाबत पेश किया गया, जो खारिज किया गया। प्रार्थी (वादी) द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 जा. दी. प्रतिवादी सं. 10 दयाराम पुत्र कजोड के स्थान पर दयाल सिंह पुत्र कजोड संशोधित करने बाबत पेश किया गया। प्रतिवादीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र पर नो ऑब्जेक्शन किया गया। प्रार्थना पत्र व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज राजस्व जमाबंदी के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 जा. दी. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया गया। तथा प्रतिवादी सं. 10 दयाराम पुत्र कजोड के स्थान पर दयाल सिंह पुत्र कजोड संशोधित किया जाकर लाल स्याही से वाद पत्र में अंकन किया गया। प्रकरण में नियत तारीख पेशी दिनांकः 19.06.2024 को प्रतिवादी सं. 08 तोफली बेवा सुन्दर उपस्थित आयी। आदेशिका पर अपनी अँगूठा निशानी दी। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा पहचान की गयी। दिनांकः 03.01.2024 को पेश राजीनामा पर उभयपक्षकारान द्वारा स्वीकार करने की सहमति प्रकट की गयी। हमने उभयपक्ष वकील को सुना। दिनांकः 03.01.2024 को पेश राजीनामा एवं वादपत्र, जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश होने से तनकीवार विवेचन किया जाना आवश्यक नहीं है। पेशशुदा राजीनामा दिनांकः 03.01.2024 में प्रतिवादीगण द्वारा दावे को स्वीकार किया गया है एवं वादी द्वारा प्रतिवाद पत्र को स्वीकार किया गया है। अतः उभयपक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा दिनांकः 03.01.2024 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि उभयपक्ष द्वारा पेश राजीनामा दिनांकः 03.01.2024 स्वीकार किया जाकर पेशशुदा राजीनामा अनुसार ग्राम ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर तहसील बॉदीकुई जिला दौसा के नये खाता सं. 115 पुराना 106 के आराजी खसरा नं. 320, 321, 322, 527, 529 लगा. 532, 536, 625, 626, 646, 648, 727, 730, 731, 733, 736, 742, 744, 745, 748, 759,

xUpE-

Scanned with OKEN Scanner

761, 762, 765, 768, 769, 774, 775, 783 लगा. 786 कुल किता 34 कुल रकबा 9.66 हैक्ट. एवं खाता सं. नया 114 पुराने 107 के आराजी खसरा नं. 318, 318/1547, 319, 524, 525, 526, 828, 919, 920, 921, 926 कुल किता 11 कुल रकबा 1.81 हैक्टेयर में तहसीलदार बॉदीकुई राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करें। पेशशुदा राजीनामा दिनांकः 03.01.2024 उक्त आदेश का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री जारी होकर तहसीलदार बॉदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner